राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद्, बल्लबगढ़ (हरियाणा)

(राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

हिन्दी पखवाड़ा - 2025 के दौरान कार्यालय में दिनांक 25 सितम्बर 2025 को "ई-ऑफिस में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग" विषय पर कार्यशाला एवं "राजभाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन।

राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद् बल्लभगढ़ में दिनांक 25 सितम्बर 2025 को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "ई-ऑफिस में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग" विषय पर कार्यशाला एवं "राजभाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एनसीबी कार्यालय से अधिकारियों / कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय डॉ संजीव कुमार चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक एवं सचिव-एनसीबी द्वारा की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में

माननीय श्री बाबू लाल मीना, उप-निदेशक, (राजभाषा) हिन्दी अनुभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार शामिल हुए। मुख्य अतिथि वक्ता माननीय श्री बाबू लाल मीना जी का स्वागत आदरणीय सचिव महोदय-एनसीबी द्वारा किया गया। माननीय सचिव-एनसीबी ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीबी एक तकनीकी एवं अनुसंधान-आधारित संस्थान होते हुए भी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं तथा उन्होने ई-ऑफिस की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि आज के इस डिजिटल युग में ई-ऑफिस ने हमारी कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित बनाया है। ऐसे में यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम इस तकनीकी मंच पर भी राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग

करें। अपने संबोधन के अंत में उन्होने कहा कि यह हम सब का दायित्व है कि ई-ऑफिस और अन्य सभी शासकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें और राजभाषा को उसके यथोचित गौरव स्थान तक पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाएँ।

इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि वक्ता माननीय श्री बाबू लाल मीना जी, ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से आग्रह किया कि अपने दैनिक कार्यायलीन कार्यों में राजभाषा का प्रयोग अधिकाधिक करें। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी के प्रचार - प्रसार हेतु विभिन्न कार्य किये जा रहे है। वर्तमान में हिन्दी की स्थिति भारत सहित समस्त विश्व में मजबूत हुई है जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय उप-निदेशक महोदय ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग की अनिवार्यता पर बल देते हुए बताया कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा तथ्यों और सर्वेक्षण के आधार पर दिया गया था। इस कार्यशाला में उन्होंने सभी प्रतिभागियों को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों, राजभाषा नियम 1976 के नियम (1 से 12) की जानकारी देने के साथ-साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों में की गई बढ़ोतरी के बारे में बताया तथा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव दिये गए। माननीय उप-निदेशक महोदय ने कहा कि वर्तमान समय में पत्राचार का रूप डिजिटल हो चुका है इसलिए जैसे हम अपना कार्यायलीन कार्य सामान्य फ़ाइलों द्वारा करते है उसी प्रकार ई-ऑफिस के माध्यम से भी करना चाहिए। उन्होने सभी को ई-ऑफिस में भाषिणी अनुवाद टूल के प्रयोग के विषय में जानकारी दी तथा उसे अधिक से अधिक उपयोग में लाने का अनुरोध किया। अंत में उन्होने सभी से आग्रह किया कि राजभाषा हिन्दी में कार्य करना हम सभी का संवैधानिक दायित्व है। जिसका पालन हम सभी को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी

से करना चाहिए क्योकि यह केवल राजभाषा हिन्दी के ही नही अपितु संविधान के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यशाला के पश्चात राजभाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सभी उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया तथा सभी प्रतिभागियों ने अपनी पूरी ईमानदारी व समझदारी से सभी प्रश्नो के उत्तर देने के प्रयास किए। प्रतियोगिता पूर्णत: मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक रही है।

यह कार्यशाला एनसीबी कार्यालय में राजभाषा के प्रचार-प्रसार व सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिन्दी संबंधी ज्ञानवर्धन में बहुत ही उपयोगी एवं सार्थक रही।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया गया।

*****